

प्रेषक,  
राम केवल,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,  
जिलाधिकारी  
बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, चित्रकूट,  
श्रावस्ती एवं सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: **24 मई, 2022**

विषय:-जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में नियुक्त सलाहकार (आपदा प्रबंधन) के मानदेय के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0103-खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढीकरण हेतु (के.100/रा.0-के.)-07 मानदेय" मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष एन०डी०एम०एस० पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत खतरे के प्रति संवेदनशील उक्त जिलों के जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढीकरण के लिए 06 जनपदों (बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, चित्रकूट, श्रावस्ती एवं सोनभद्र) में नियुक्त सलाहकार (आपदा प्रबंधन) को 06 माह (माह फरवरी, 2022 से माह जुलाई, 2022 तक) के मानदेय के भुगतान हेतु **रु० 25,20,000/- (रु० पच्चीस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि**, निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बंधित जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्रम संख्या | जनपद का नाम  | स्वीकृति धनराशि (लाख रु०) |
|-------------|--------------|---------------------------|
| 1-          | बलरामपुर     | 4.20                      |
| 2-          | सिद्धार्थनगर | 4.20                      |
| 3-          | फतेहपुर      | 4.20                      |
| 4-          | चित्रकूट     | 4.20                      |
| 5-          | श्रावस्ती    | 4.20                      |
| 6-          | सोनभद्र      | 4.20                      |
|             | <b>योग</b>   | <b>25.20</b>              |

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (3) प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (4) स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।



(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 25,20,000/-(रु० पच्चीस लाख बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-051 लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0103-खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढीकरण हेतु (के.100/रा.0-के.) 07 मानदेय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

**संख्या-895 (1)/एक-10-2022, तदुदिनांक**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, पिकप भवन गोमती नगर, लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 6- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- राजस्व अनुभाग-6/11
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

*(मनोज कुमार सिंह)*  
(मनोज कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव।



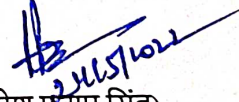
**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2022-2023  
आवंटन दिनांक-24/05/2022

प्रेषण संख्या:- 895  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-895  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
80 - सामान्य  
800 - अन्य व्यय  
01 -  
03 - खतरे के प्रति संवेदनशील जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सुदृढीकरण हेतु (के.100/रा.0-के.)  
(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                  |                    | 07-मानदेय          | योग                |
|-------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1     | फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--      | वर्तमान<br>प्रगामी | 420000<br>420000   | 420000<br>420000   |
| 2     | सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 420000<br>420000   | 420000<br>420000   |
| 3     | सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी, --01--      | वर्तमान<br>प्रगामी | 420000<br>420000   | 420000<br>420000   |
| 4     | बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--     | वर्तमान<br>प्रगामी | 420000<br>420000   | 420000<br>420000   |
| 5     | श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--    | वर्तमान<br>प्रगामी | 420000<br>420000   | 420000<br>420000   |
| 6     | चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--     | वर्तमान<br>प्रगामी | 420000<br>420000   | 420000<br>420000   |
|       | योग                                  | वर्तमान<br>प्रगामी | 2520000<br>2520000 | 2520000<br>2520000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पच्चीस लाख बीस हजार  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पच्चीस लाख बीस हजार

  
(अखिलेश प्रताप सिंह)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
(अखिलेश प्रताप सिंह)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
राहत आयुक्त कार्यालय  
उ० प्र० शासन।